



Neutral Citation No. - 2026:AHC:61605

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत दाण्डिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या -
2802/2026

तैयबआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्यविपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अतुल श्रीवास्तव, मोहम्मद फारूक

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, संतोष कुमार तिवारी

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष कुमार तिवारी और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 83/2026, धारा 69, 89, 351(2) बी.एन.एस., थाना- नजीबाबाद, जिला- बिजनौर के अंतर्गत, उसे अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रस्तुत संस्करण के अनुसार, पीड़िता और आवेदक प्रेम संबंध में थे और आरोप लगाया गया है कि विवाह के वादे पर पीड़िता और आवेदक ने शारीरिक संबंध स्थापित किए। पीड़िता का कहना है कि आवेदक द्वारा विवाह के वादे के कारण, किसी अन्य व्यक्ति से निकाह होने के बाद भी उसने उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किए। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यह आवेदक और सूचनाकर्ता के एक-दूसरे के प्रति गहरे लगाव को दर्शाता है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि पीड़िता के परिवार के सदस्यों के दबाव में यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
4. सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष कुमार तिवारी ने अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और तर्क दिया है कि आवेदक ने पीड़िता का अनुचित लाभ उठाने के लिए विवाह का झूठा वादा किया। पीड़िता ने अपने पति के साथ कोई शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किया और इस इनकार के कारण पति ने उसे तलाक भी दे दिया। इसके बाद आवेदक ने पीड़िता से विवाह करने से इनकार कर दिया है, जो स्पष्ट रूप से बी.एन.एस., 2023 की धारा 69 के तहत मामला बनाता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने भी सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का समर्थन किया है।
6. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।
7. यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि आवेदक और पीड़िता प्रेम संबंध में थे। इस संबंध के बने रहने के दौरान ही पीड़िता का समीर नामक व्यक्ति से विवाह होना बताया गया है। बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान से यह भी स्पष्ट है कि अब उसका तलाक हो चुका है। अभिलेख से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक और पीड़िता के बीच लंबे समय से चला आ रहा संबंध अब कड़वाहट में बदल गया है, और न्यायालय की राय में, ऐसा दीर्घकालिक संबंध बी.एन.एस., 2023 की धारा 69 के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इसके अलावा, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं बताया गया है और वह अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के लिए किसी हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।
8. मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना उचित समझता हूँ।
9. उपरोक्त के आलोक में, आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
10. आवेदक- तैयब की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपरोक्त मुकदमा अपराध में एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां संबंधित थाना प्रभारी/न्यायालय के संतोषानुसार प्रस्तुत करने पर तत्काल अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-
 - i. आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
 - ii. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे;
 - iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
 - iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं;
11. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, संबंधित न्यायालय जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।
12. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दी गई टिप्पणियां विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निपटारे के लिए हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

25 मार्च, 2026

सचिन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"